उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने [राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड](#) के गठन के प्रस्ताव को **मंज़ूरी दी।**

- **राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोज़गार में समान अवसर प्रदान करने के लिये** एक नीति लाएगा।

मुख्य बिंदु

- **सर्वेक्षण एवं पहचान-पत्र जारी करना:**
  - **राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या की पहचान और पता लगाने** के लिये पूरे उत्तराखंड में एक **सर्वेक्षण कराया जाएगा।**
  - सर्वेक्षण के बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को **उनकी औपचारिक पहचान के लिये पहचान-पत्र जारी किये जाएँगे।**
- **कल्याणकारी पहुँच को सुगम बनाना:**
  - कल्याण बोर्ड **ट्रांसजेंडर समुदाय की** मौजूदा सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।
  - यह समुदाय के प्रति **संवेदनशील और गैर-भेदभावपूर्ण नई योजनाएँ भी विकसित करेगा।**
  - शिकायतों के समाधान के लिये एक **प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी,** जिसमें शिकायत समाधान के लिये एक निश्चित समय सीमा होगी।
- **उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन:**
  - **समाज कल्याण विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा,** जबकि **मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।**
  - सदस्यों में समाज कल्याण, गृह, वित्त, कार्मिक, शहरी विकास और [पंचायती राज](#) **जैसे विभागों के सचिव शामिल होंगे**:
    - ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच विशेषज्ञ।
    - ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिये काम करने वाले [गैर-सरकारी संगठनों (NGO)](#) का एक प्रतिनिधि।
    - राष्ट्रीय संदर्भ और कानूनी अधिदेश।
- **कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वाँ राज्य:**
  - [उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियम, 2020](#) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला **18वाँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।**
  - **ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड वाले अन्य राज्य** हैं राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार।

ट्रांसजेंडर

- [ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019](#) के तहत ट्रांसजेंडर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है **जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता।**
- इसमें अंतरलिंगीय भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, [लिंग-विषमलैंगिक](#) और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।
- भारत की [2011 की जनगणना](#) देश की पहली जनगणना थी **जिसमें देश की 'ट्रांस' आबादी की संख्या को शामिल किया गया था।** रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि **4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transgender-welfare-board-in-uttarakhand